



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

SITTING NOTICE

फा. सं.: NCST/ATY-2664/DL/36/2025-RU-IV

दिनांक: 16/04/2026

सेवा में,

श्री सतीश गोलछा
पुलिस आयुक्त,
दिल्ली पुलिस,
पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली-110001
ई-मेल: cpdelhi@delhipolice.gov.in

विषय: प्रार्थिनी के साथ हो रहे उत्पीड़न एवं धोखाधड़ी के संबंध में दर्ज की गई रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा दोषी के विरुद्ध कोई कार्रवाई न करने के संबंध में
- सुश्री वुंग घई किम, 44/7 पटेल चेस्ट फ्लैट, लॉ फैकल्टी के सामने, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली का दिनांक 31.05.2025 का पत्र।

संदर्भ NCST Letter dated 28.11.2025

महोदय,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है

2. डॉ आशा लकड़ा, माननीया सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, कोर्ट रूम, 6 वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक **22.04.2026 को 14:40 Hrs** बजे सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप** से और माननीया सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा

भवदीय

(यो. प्र. यादव / Y. P. Yadav)
निदेशक /Director

E.mail: ru4-hq@ncst.nic.in

Ph. No. 011-24645826

प्रति, सिटिंग में उपस्थित होने के लिए सूचनार्थ:

सुश्री तुंग घई किम,
44/7 पटेल चेस्ट फ्लैट,
लॉ फैकल्टी के सामने,
दिल्ली विश्वविद्यालय,
दिल्ली - 110007,
kimngaihte35@gmail.com
Mobile No:9311252428

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)

NIC for uploading